भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1654

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू में आईएसएसआर घटक का समावेशन

1654. सुश्री सयानी घोष:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 1.0 योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान योजना के अंतर्गत अनिवार्य स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास घटक (आईएसएसआर) को पीएमएवाई- यू 2.0 में लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों में मिला दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे योजना के चार कार्यक्षेत्रों अर्थात् किफायती किराया आवास (एआरएच), लाभार्थी संबद्ध निर्माण (बीएलसी), ब्याज राजसहायता योजना (आईएसएस) और किफायती आवास परियोजना (एएचपी) के अंतर्गत संबंधित हितधारकों द्वारा वित्तपोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय केंद्रीय सहायता प्रदान करके देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्का आवास प्रदान करने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 114.22 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 25.11.2024 तक 88.22 लाख से अधिक आवासों को पूर्ण/लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। यह योजना चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1.99 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, 1.66 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार और घटक-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): जी हाँ, प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से ''सभी के लिए आवास'' पीएमएवाई 2.0 शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू के तहत, भारत सरकार ने "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के तहत प्रति यूनिट 1.0 लाख रुपए, पीएमएवाई-यू के साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटकों के लिए 1.5 लाख रूपए प्रति यूनिट की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान किया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के दौरान, बड़ी संख्या में स्लम निवासी लाभार्थियों ने आईएसएसआर घटक के अलावा एएचपी और बीएलसी घटकों के तहत लाभ की मांग की है, क्योंकि एएचपी और बीएलसी घटक के तहत केंद्रीय सहायता आईएसएसआर से अधिक है। कई मामलों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी एएचपी घटक के तहत "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें बीएलसी घटक के तहत केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची के साथ बनाए रखे जाने योग्य स्लम क्षेत्रों में पक्के आवास प्रदान करने के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकती हैं। इसी तरह, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एएचपी घटक के तहत सरकारी/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/सार्वजनिक भूमि पर स्थित टूटी-फूटी इमारतों वाली स्थायी स्लम के लिए पुनर्विकास या "स्व-स्थाने सुधार" परियोजनाओं का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। इस घटक के तहत, मौजूदा स्लम को ध्वस्त किया जाएगा और सभी बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ बहु-मंजिला भवन के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा।

(ग): पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आवासों की खरीद/ निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है और योजना के तहत अनिवार्य राज्य हिस्सेदारी का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएवाई-यू 2.0 घटक		
		बीएलसी और एएचपी	एआरएच	आईएसएस
1.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र सरकार - 2.25 लाख रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकार – कम से कम 0.25 लाख रुपए प्रति यूनिट	प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान भारत सरकार: 3,000/- रुपए प्रति वर्गमीटर प्रति इकाई राज्य का हिस्सा: 2,000/- रुपए प्रति वर्गमीटर प्रति इकाई	केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख रुपए (वास्तविक रिलीज) तक की गृह ऋण सब्सिडी
2.	अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र सरकार - 2.50 लाख रुपए प्रति यूनिट		
3.	अन्य सभी राज्य	केंद्र सरकार - 1.50 लाख रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकार - कम से कम 1.00 लाख रुपए प्रति यूनिट		

*****

दिनांक 05-12-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1654 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार और घटक-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)				उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में) *			
	बीएलसी	एएचपी	आईएसएसआर	सीएलएसएस	बीएलसी	एएचपी	आईएसएसआर	सीएलएसएस
2015-16	176.83	902.31	1,735.11	200.00	-	-	521.08	200.00
2016-17	2,358.74	1,147.21	406.61	475.00	412.53	49.97	636.79	475.00
2017-18	8,018.07	5,183.66	324.36	2,435.00	810.94	1,067.12	230.60	2,435.00
2018-19	12,350.41	3,013.23	95.26	10,669.56	6,497.23	2,602.68	187.16	10,669.56
2019-20	10,077.60	334.33	28.26	9,025.00	13,139.00	3,099.32	29.75	9,025.00
2020-21	13,184.46	339.84	1.79	13,240.04	6,422.84	2,134.01	174.86	13,240.04
2021-22	9,376.17	870.32	-	12,003.06	20,619.53	1,643.91	461.84	12,003.06
2022-23	13,781.98	1,664.44	(41.85)	10,820.78	14,626.60	1,166.39	82.02	10,820.78
2023-24	17,644.80	2,006.60	75.59	-	13,403.06	1,466.44	20.21	-
2024-25	2,129.04	202.19	-	-	5,719.78	1,574.75	15.73	-
कुल योग	**89,098.10**	**15,664.13**	**2,625.13**	**58,868.45**	**81,651.51**	**14,804.60**	**2,360.03**	**58,868.45**

*उस वर्ष के दौरान उपयोग की गई केंद्रीय सहायता शामिल है जिसके लिए पिछले वर्षों में निधियां जारी की गई थीं।